WESTERN RAILWAY

P.S.No. 84/2013

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 830/0 Vol.VI

Date:15.10.2013

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- ZG-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- ZG-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Restructuring of certain Group 'C' Cadres.

==========

A copy of Railway Board's letter No.PC-III/2013/CRC/4 dated 8.10.2013 (RBE No.102/2013) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

The Railway Board's letter mentioned therein have been circulated as indicated as under.

Sr. No.	Board's letter No. & Date.	This office letter No. & date and P.S.No.
1.	No.PC-VI/2008/1/RSRP/1 dated 11.9.2008 and 12.9.2008.	No.E/PC/767/0 (6th CPC) dated 15.9.2008 (P.S.No.106/2008 & PS 107/2008)
2.	No.PC-VI/2009/CRC/4 dated 26.3.2010 (RBE No.44/2010)	No.EP830/0 Vol.VII (Annual Review) dated 12.4.2010 (P.S.No.61/2010)

Encl: As above.

(U. V. Patel)
Dy.CPO(HRD)
For General Manager (E)

PS No 84/2013
EP 830/0 Vol VI

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं.102 / 2013

सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 नई दिल्ली, दिनांक 08-10-2013

महाप्रबंधक / महानिदेशक, पश्चिम रेलवे मुंबई
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां, अअमास आदि और
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

विषय : ग्रुप 'सी' के कुछ संवर्गों की पुनर्संरचना।

रेल मंत्रालय ने रेलों में स्टाफ की तैनाती के स्वरूप को सुदृढ़ करने और युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से मान्यताप्राप्त दोनों संघों (एआईआरएफ/एनएफआईआर) के परामर्श से ग्रुप 'सी' कर्मचारियों के कुछ संवर्गों की समीक्षा की है। कार्यात्मक, परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि इस पत्र के अनुलग्नक 'ए' से 'एच' में दर्शाई गई कर्मचारियों की ग्रुप 'सी' कोटियों की उनमें दर्शाए गए संशोधित प्रतिशत के अनुसार पुनर्संरचना की जाए। इन आदेशों को लागू करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक एवं कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

प्रभावी होने की तिथि	1.	संवर्गों की पुनर्संरचना 01-11-2013 को संवर्ग की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में होगी। इन आदेशों के लागू होने के परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों जिन्हें उच्चतर ग्रेड पे में रखा जाएगा, को उच्चतर ग्रेड में दिनांक 01-11-2013 से वेतन मिलेगा। यह लाभ उन व्यक्तियों तक सीमित होगा जो निर्धारित तिथि यानि 01-11-2013 को विशिष्ट संवर्ग में कार्यरत हैं।
विशिष्ट संवर्गों के लिए प्रयोज्यता	2.	ये आदेश कारखानों, उत्पादन इकाइयों, अअमास और केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों सहित ओपन लाइन के संस्थापनों के स्थायी नियमित संवर्गों (सरप्लस और अधिसंख्य (Supernumerary) पदों को छोड़कर) पर लागू होंगे। संशोधित प्रतिशत लागू करने के लिए केवल उन अस्थायी पदों को भी ध्यान में रखा जाएगा जो कम-से-कम तीन वर्षों से परिचालन में हैं। यह इस प्रमाणीकरण के अध्यधीन होगा कि ये पद उन नियमित गतिविधियों के लिए हैं जो जारी रहती हैं न कि छुट-पुट आवश्यकताओं के लिए।

2.1 ये आदेश केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के स्थायी संस्थापनों के राजस्व में प्रभार्य और क्षेत्रीय रेलों की समान कोटियों में समरूप एवीसी, ग्रेड संरचना, पदनाम और भर्ती पैटर्न वाले ग्रुप 'सी' संवर्गों के नियमित पदों पर भी लागू होंगे।

2.2 ये आदेश संवर्ग बाह्य और कार्य प्रभारित पदों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें कार्य भार के महत्व के आधार पर परिचालित किया जाता रहेगा।

2.3 ये अनुदेश निर्माण इकाइयों और परियोजनाओं पर भी लागू नहीं होंगे जहां पदों का सृजन सामान्यत: कार्यभार के आधार पर किया जाता है। इन इकाइयों में पदों के सृजन के लिए निधियों की उपलब्धता और मौजूदा नियमों को ध्यान में रखते हुए सामान्यत: ओपन लाइन/उत्पादन इकाइयों में पदों के प्रतिशत वितरण को ध्यान में रखा जाए।

वेतन निर्धारण

3. पुनर्संरचना (श्रृंखला / परिणामी रिक्तियों सहित) के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उच्चतर ग्रेड पदों के तहत पदोन्नत किए गए कर्मचारियों का वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अनुसार मूल वेतन के 3% की दर पर एक वेतनवृद्धि के साथ निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन निर्धारण का सामान्य विकल्प लागू रहेगा।

मौजूदा वर्गीकरण एवं रिक्तियों का भरा जाना

4. इन आदेशों द्वारा समाविष्ट पदों का 'चयन' और 'गैर-चयन', जैसा भी मामला हो, के रूप में किया गया मौजूदा वर्गीकरण अपरिवर्तित रहेगा। बहरहाल, इन आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से यदि कोई रेल कर्मचारी 'चयन' पद के रूप में वर्गीकृत पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त हो जाता है तो मौजूदा चयन प्रक्रिया ऐसे मामले में उस हद तक संशोधित हो जाएगी जिसमें चयन कोई लिखित परीक्षा और/या मौखिक परीक्षा आयोजित किए बिना केवल सेवा रिकॉर्डों और गोपनीय रिपोर्टों की जांच पर आधारित होगा । इस संशोधित चयन प्रक्रिया का निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा, समाविष्ट संख्या को देखते हुए, इन आदेशों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से विशेष छूट देकर एक बारगी अपवाद के रूप में किया गया है। इसी प्रकार, इस पुनर्संरचना के समय 'गैर-चयन' के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति केवल सेवा रिकॉर्डों और गोपनीय रिपोर्टों की जांच पर ही आधारित होगी। कारीगर कर्मचारियों के मामले में इन आदेशों के तहत पुनर्संरचना का लाभ केवल आवश्यक ट्रेड परीक्षा पास करने पर दिया जाएगा।

4.1 01-11-2013 को मौजूद सामान्य रिक्तियों (सीधी भर्ती कोटा को छोड़कर) और श्रृंखला / परिणामी रिक्तियों सहित इस संवर्ग पुरर्संरचना के कारण उस तिथि को उत्पन्न रिक्तियों को निम्नलिखित क्रम में भरा जाना चाहिए:

(i) 01-11-2013 को या उसके पहले अनुमोदित और उस तिथि को वर्तमान पैनलों से।

(ii) और शेष ऊपर पैरा 4 में दर्शाई गई विधि से।

4.2 ऐसे चयन जिन्हें 01-11-2013 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उन्हें रद्द कर देना / छोड़ देना चाहिए।

4.3 02-11-2013 से उत्पन्न होने वाली सभी सामान्य रिक्तियों को सामान्य चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा।

4.4 इस संवर्ग पुनर्संरचना के कारण उत्पन्न सभी रिक्तियों (श्रृंखला / परिणामी रिक्तियों सहित) को वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा भरा जाना चाहिए जिन्हें 01-11-2013 से पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि 01-11-2013 को मौजूद सामान्य रिक्तियों के लिए कनिष्ठ कर्मचारियों की तैनाती संशोधित चयन प्रक्रिया द्वारा की जानी चाहिए, परन्तु उन्हें पदोन्नति और उच्चतर वेतन सामान्य नियमों के अनुसार पदभार संभालने की तारीख से दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, 01-11-2013 से पदोन्नति का विशेष लाभ केवल संवर्ग पुनर्संरचना के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए ही उपलब्ध है और अन्य रिक्तियों के लिए रिक्ति को भरने की तारीख से भावी पदोन्नति के सामान्य नियम लागू होंगे।

4.5 उन मामलों में जहां निम्नतर ग्रेड में प्रतिशत को घटाया गया है और पुरर्संरचना के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं होता है तो 01-11-2013 को मौजूद रिक्तियों को सामान्य चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाना चाहिए।

4.6 सीधी भर्ती का प्रतिशत प्रभावी होने की तिथि को इन पुरर्संरचना आदेशों के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त पदों के लिए लागू नहीं होगा। सीधी भर्ती का प्रतिशत प्रभावी होने की तिथि अर्थात् 01-11-2013 के बाद की तारीख को या उसके बाद उत्पन्न होने वाली सामान्य रिक्तियों के लिए लागू होगा। इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि के पहले कुछ कोटियों में मौजूद सीधी भर्ती का कोटा जैसा है वैसा बना रहेगा।

4.7 वे कर्मचारी जो इन आदेशों के प्रभावी होने की तिथि से इन आदेशों के वास्तविक रूप में क्रियान्वित होने की तिथि के बीच सेवानिवृत्त हो जाते हैं / पद त्याग देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे 01.11.2013 से इन आदेशों के तहत वेतन निर्धारण का लाभ और बकाया प्राप्त करने के पात्र होंगे यदि वे उक्त निर्धारण लाभ को पाने के लिए अन्यथा पात्र हों ।

5. अनुशासन एवं अपील / सतर्कता क्लीयरेंस से संबंधित मौजूदा अनुदेश इन आदेशों के प्रभावी होने की तिथि के संदर्भ में इन आदेशों के अंतर्गत पदोन्नति के क्रियान्वयन के लिए लागू होंगे।

प्रत्येक ग्रेड में न्यूनतम सेवा वर्ष

6. पुनर्संरचना आदेशों को क्रियान्वित करते समय, समय-समय पर जारी पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। बहरहाल, विभिन्न कोटियों में पदोन्नतियों के लिए निर्धारित कार्यकाल में कोई छूट देने पर विचार करते समय महाप्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि रेलवे की संरक्षा पहलू से कोई समझौता नहीं किया गया है।

मूल कार्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7. चूंकि संवर्गों, जिनका विवरण इस पत्र के अनुलग्नक में दिया गया है, की पुनर्संरचना कार्यात्मक, परिचालनिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से की जा रही है, अतः पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में रखे जाने वाले पदों में अधिक महत्व वाली ड्यूटी और उत्तरदायित्वों को समाविष्ट किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त पदों का समायोजन

8. यदि इन अनुदेशों के जारी होने से पहले किसी विशेष संवर्ग में किसी ग्रेड में मौजूदा पदों की संख्या, संशोधित प्रतिशत के अनुसार अनुमेय संख्या से अधिक हो तो अतिरिक्त पदों को जारी रखा जाए और उन्हें मौजूदा पदधारियों द्वारा पदों को रिक्त किए जाने पर चरणबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर समाप्त किया जाए।

आरक्षण का प्रावधान

9. अजा/अजजा के आरक्षण से संबंधित मौजूदा अनुदेश, जहाँ कहीं लागू हों, लागू रहेंगे।

किरन गुलाटी

पदों को सही-सही चिह्नित करना

10. प्रशासन द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार इस पुनर्संरचना से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त पदों को सही-सही चिह्नित करने के लिए कदम उठाए जाएं। बहरहाल, ऐसे मामलों में जिनमें पदों को सही-सही चिह्नित किए जाने के कारण कर्मचारियों को भिन्न स्टेशन पर अपग्रेड किए गए पदों पर ड्यूटी ज्वाइन करना अपेक्षित है तो प्रत्येक मामले में मैरिट के आधार पर विभागाध्यक्ष की संतुष्टि के अध्यधीन ऐसे कर्मचारी को उस समय 'जैसा है, जहां है के आधार" पर अपग्रेडेशन / पदोन्नति का लाभ दिया जाए और पदोन्नति के आदेश जारी होने की तारीख से छः महीने के भीतर नए स्टेशन पर सही-सही चिह्नित किए गए पदों पर ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए।

पदोन्नति से इंकार

11. ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने इन आदेशों के जारी होने से पहले पदोन्नति लेने से इंकार किया था और जिन्हें पदोन्नति से वंचित किया गया है, यदि वे लिखित में देते हैं कि वे 01-11-2013 को मौजूद और इस तारीख को पुनर्संरचना के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं, तो एक बारगी अपवाद के रूप में मौजूदा प्रावधानों में छूट देते हुए, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाए । प्रभावी होने की तिथि अर्थात् 01-11-2013 के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के संबंध में उपरोक्त छूट लागू नहीं होगी।

मैचिंग सेविंग

12. पुनर्संरचना की पूरी योजना स्व-वित्त पोषण और व्यय तटस्थता से की जाएगी। इन आदेशों के लागू होने की तारीख को लागू महंगाई भत्ते के साथ-साथ बोर्ड के दिनांक 11-09-2008 तथा 12-09-2008 के पत्र संख्या पीसी-VI/2008/आई/आरएसआरपी/1 के तहत परिपत्रित फिटमेंट टेबल में दिए गए प्रत्येक पद के संबंध में संशोधन-पूर्व के वेतनमानों के मध्य बिंदु के अनुरूप संशोधित. बेसिक पे (ग्रेड पे सहित) को देखते हुए वित्तीय निहितार्थों की गणना की जाए।

12.1 वित्तीय निहितार्थों की गणना करने के बाद, उसी कोटि से मैचिंग सेविंग की जानी चाहिए । जहाँ कहीं, उसी कोटि से ऐसा करना संभव न हो, मैचिंग सेविंग, मंडल / क्षेत्रीय स्तर पर विभाग से की जानी चाहिए। परंतु पदों के संशोधित प्रतिशत वितरण के अनुसार संवर्ग की पुनर्संरचना करने से पहले मैचिंग सेविंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और यदि विभाग / रेलवे मैचिंग सेविंग को उपलब्ध कराने में

विनयगामी.

असमर्थ हो तो उस कोटि / विभाग विशेष की पुनर्संरचना नहीं की जाएगी। पुनर्संरचना की लागत / पुनर्संरचना के वित्तीय प्रभावों को संतुलित करने के लिए समान वित्तीय मूल्य के पदों को सरेण्डर करते समय प्रभावी होने की तिथि को इन कोटियों में उपलब्ध मौजूदा रिक्त पदों पर विचार किया जाना चाहिए। बोर्ड चाहता है कि महाप्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैचिंग सेविंग के साथ इस पुनर्संरचना को शीघ्र बिना किसी अपवाद एवं कठिनाई के लागू किया जाए। **पदों को सरेण्डर करके मैचिंग सेविंग किए बिना कोई पुनर्संरचना नहीं की जाएगी।**

12.2 इन आदेशों के अनुसार पदों का संशोधित प्रतिशत वितरण, 01-11-2013 को स्वीकृत संवर्ग संख्या के आधार पर किया जाएगा। सरेण्डर इस स्वीकृत संख्या में से किया जाएगा तथा इन संवर्गों में होने वाले परिणामी असंतुलन / घट-बढ़ की नीचे दिए गए अनुसार अगली वार्षिक समीक्षा के समय समीक्षा की जाएगी।

वार्षिक समीक्षा

13. बोर्ड के दिनांक 26.03.2010 के पत्र संख्या पीसी-VI/2009/सीआरसी/4 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार 01-04-2010 के संवर्ग संख्या के बारे में 01-04-2010 को की जाने वाली वार्षिक समीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब यह विनिश्चय किया गया है कि 01.04.2015 की संवर्ग संख्या को ध्यान में रखते हुए अगली वार्षिक समीक्षा 01.04.2015 से की जाएगी।

इसे इस मंत्रालय के स्थापना निदेशालय के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें।

संलग्नकः अनुलग्नक - ए से एच कुंजी सहित
(8 पृष्ठ)

(विक्रम गुलाटी)
निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 नई दिल्ली, दिनांक 08-10-2013

प्रतिलिपि एडीएआई, रेलें, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अग्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

अनुलग्नकों के लिए कुंजी

1.	अनुलग्नक - 'ए'	परिवहन यातायात एवं (विद्युत) विभाग
2.	अनुलग्नक - 'बी'	वाणिज्य विभाग.
3.	अनुलग्नक - 'सी'	वर्कशॉप सहित सभी इंजीनियरी विभाग
4.	अनुलग्नक - 'डी'	सिगनल एवं दूरसंचार, यांत्रिक एवं भंडार विभाग
5.	अनुलग्नक - 'ई'	चिकित्सा विभाग
6.	अनुलग्नक - 'एफ'	लेखा एवं रोकड़ तथा वेतन विभाग/एक विभाग से अधिक विभाग में काम करने वाला कर्मचारी
7.	अनुलग्नक - 'जी'	सामान्य प्रशासन/कार्मिक, सांख्यिकीय एवं प्रचार विभाग.
8.	अनुलग्नक - 'एच'	अअमासं के लिए विशिष्ट कोटियां

अनुलग्नक - 'ए'

परिवहन यातायात एवं (विद्युत) विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की
पुनर्संरचना से संबंधित विवरण

बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	ग्रेड पे (रु.)		
		यातायात परिवहन विभाग		
स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4600	28.5	40
	पे बैंड-2	4200	63	53
	पे बैंड-1	2800	8.5	7
यातायात नियंत्रक (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4600	85	90
	पे बैंड-2	4200	15	10
ट्रेन लिपिक	पे बैंड-2	4200	66	76
	पे बैंड-1	2400	17	12
	पे बैंड-1	1900	17	12
शंटिंग मास्टर/ जमादार (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4200	50	65
	पे बैंड-1	2400	50	35
कैबिनमैन (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-1	2400	50	65
	पे बैंड-1	1900	50	35
शंटमैन/प्वाइंटसमैन/ लीवरमैन (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-1	1900	83	89
	पे बैंड-1	1800	17	11
गुड्स गार्ड्स (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4200	27	50
	पे बैंड-1	2800	73	50
सहायक गार्ड्स /ब्रेक्समैन (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-1	2400	27	50
	पे बैंड-1	1900	73	50
रसोइया (यातायात/ यांत्रिक रनिंग रूम)	पे बैंड-1	2400	27	40
	पे बैंड-1	1900	46	40
	पे बैंड-1	1800	27	20
		परिवहन (विद्युत) विभाग		
लोको पायलट (शंटिंग) (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4200	30	50
	पे बैंड-1	2400	70	50

Signature

अनुलग्नक - 'बी'

वाणिज्य विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पुनर्संरचना से संबंधित विवरण

बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	ग्रेड पे (रु.)		
	वाणिज्य विभाग			
वाणिज्य लिपिक	पे बैंड-2	4600	12	20
	पे बैंड-2	4200	43	46
	पे बैंड-1	2800	28	22
	पे बैंड-1	2000	17	12
पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक (ईसीआरसी)	पे बैंड-2	4600	12	22
	पे बैंड-2	4200	53	55
	पे बैंड-1	2800	35	23
टिकट चेकिंग कर्मचारी	पे बैंड-2	4600	12	20
	पे बैंड-2	4200	43	46
	पे बैंड-1	2400	28	22
	पे बैंड-1	1900	17	12
वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य/मार्केटिंग /दावा/ दर/आर एवं डी निरीक्षक	पे बैंड-2	4600	62	75
	पे बैंड-2	4200	38	25

[signature]

अनुलग्नक - 'सी'

वर्कशॉप सहित सभी इंजीनियरी विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पुनर्संरचना
से संबंधित विवरण

बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	ग्रेड पे (रु.)		
वर्कशॉप सहित सभी इंजीनियरी विभाग				
तकनीकी पर्यवेक्षक	पे बैंड-2	4600	50 ^^ 47 **	67
(संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4200	50 ^^ 53 **	33
^^ मिस्त्री के बिना **मिस्त्री के साथ				
कारीगर कर्मचारी	पे बैंड-2	4200	8	16
	पे बैंड-1	2800	41	44
	पे बैंड-1	2400	26	20
	पे बैंड-1	1900	25	20
ड्राइंग/डिजाइन कर्मचारी	पे बैंड-2	4600	45	60
	पे बैंड-2	4200	55	40

विक्रम गुलाटी

अनुलग्नक - 'डी'

सिगनल एवं दूरसंचार, यांत्रिक एवं भंडार विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पुनर्संरचना से संबंधित विवरण

बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	पे बैंड		
सिगनल एवं दूरसंचार विभाग				
सिगनल मैंटेनर/टीसीएम/डब्ल्यूटीएम (संरक्षा कोटि)	पे बैंड-2	4200	16	27
	पे बैंड-1	2800	53	52
	पे बैंड-1	2400	20	13
	पे बैंड-1	1900	11	8
टेलीफोन ऑपरेटर	पे बैंड-2	4600	8	12
	पे बैंड-2	4200	49	57
	पे बैंड-1	2400	26	20
	पे बैंड-1	1900	17	11
यांत्रिक इंजीनियरी विभाग				
रसायन एवं धातु विज्ञान कर्मचारी (सीएमटी)	पे बैंड-2	4600	70	80
	पे बैंड-2	4200	30	20
स्टोर विभाग				
डिपो मेटेरियल अधीक्षक	पे बैंड-2	4600	40	60
	पे बैंड-2	4200	60	40
शिपिंग इंस्पेक्टर	पे बैंड-2	4600	---	60
	पे बैंड-2	4200	---	40

विप्रभ्रालाटी

<u>अनुलग्नक - 'ई'</u>

चिकित्सा विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पुनर्संरचना से संबंधित विवरण
बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक.

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	पे बैंड		
चिकित्सा विभाग				
फार्माशिष्ट	पे बैंड-2	4600	20	35
	पे बैंड-2	4200 (एनएफजी)	60	65
	पे बैंड-1	2800	20	
कैमिस्ट/लैब अधीक्षक	पे बैंड-2	4600	34	45
	पे बैंड-2	4200	66	55
डाइटिशियन	पे बैंड-2	4600	---	50
	पे बैंड-2	4200	---	50
ड्रेसर/ओटीए	पे बैंड-1	2800	15	35
	पे बैंड-1	2400	60	45
	पे बैंड-1	1900	25	20
स्वास्थ्य एवं मलेरिया इंस्पेक्टर	पे बैंड-2	4600	47	65
	पे बैंड-2	4200	53	35
लैब सहायक/लैब तकनीशियन/सहायक कैमिस्ट	पे बैंड-1	2800	75	80
	पे बैंड-1	2400	15	10
	पे बैंड-1	2000	10	10
एक्स-रे कर्मचारी	पे बैंड-2	4200	52	68
	पे बैंड-1	2800	48	32
रसोइया (चिकित्सा)	पे बैंड-2	4200	9	20
	पे बैंड-1	2400	31	30
	पे बैंड-1	1900	30	30
	पे बैंड-1	1800	30	20
स्वास्थ्य आगंतुक (बहुउद्देश्य)	पे बैंड-2	4200	20	30
	पे बैंड-1	2800	40	40
	पे बैंड-1	2400	40	30
फील्ड वर्कर	पे बैंड-1	2400	75	83
	पे बैंड-1	1900	25	17
फिजियोथेरेपिस्ट	पे बैंड-2	4600	60	73
	पे बैंड-2	4200	40	27
एक्सटेंशन एजूकेटर/जिला एक्सटेंशन एजूकेटर	पे बैंड-2	4600	...	55
	पे बैंड-2	4200	...	45

विजयालक्ष्मी

अनुलग्नक - 'एफ'

लेखा एवं रोकड़ तथा वेतन विभाग/एक विभाग से अधिक विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पुनर्संरचना से संबंधित विवरण

बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक.

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	पे बैंड		
लेखा एवं रोकड़ तथा वेतन विभाग				
स्टॉक सत्यापक	पे बैंड-2	4600	35	57
	पे बैंड-2	4200	65	43
फिंगर प्रिंट परीक्षक	पे बैंड-2	4600	25	50
	पे बैंड-2	4200	75	50
कैशियर (गैर-पर्यवेक्षकीय)	पे बैंड-2	4200	85	90
	पे बैंड-1	2400	15	10
कैशियर (पर्यवेक्षकीय)	पे बैंड-2	4600	---	55
	पे बैंड-2	4200	---	45
सराफ	पे बैंड-2	4200	39	50
	पे बैंड-1	2400	38	35
	पे बैंड-1	1900	23	15
एक विभाग से अधिक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी				
मंत्रालयीन कर्मचारी (लेखा को छोड़कर स्थापना और स्थापना से इतर)	पे बैंड-2	4600	12	19
	पे बैंड-2	4200	45	53
	पे बैंड-1	2800	23	15
	पे बैंड-1	1900	20	13
टाइपिस्ट **	पे बैंड-2	4600	12	20
	पे बैंड-2	4200	45	65
	पे बैंड-1	2400	23	15
	पे बैंड-1	1900	20	---

** बोर्डके पत्रसंख्या पीसी-III/2004/सीआरसी/9 दिनांक 09-09-2004 में उल्लिखित निर्देशानुसार टंकक संवर्ग की पुनर्संरचना की अनुमति अंतर्ग्रेड अनुपात (निर्धारित प्रतिशत वितरण के अनुसार) के आधार पर दी जाये जो केवल उन ग्रेडों तक सीमित होगी जो रेलवे पर उस संवर्ग में परिचालित किये जा रहे हैं।

(हस्ताक्षर)

अनुलग्नक - 'जी'

सामान्य प्रशासन/कार्मिक, सांख्यिकीय एवं प्रचार विभाग के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की पुनर्संरचना से संबंधित विवरण

बोर्ड का दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक.

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	पे बैंड		
सामान्य प्रशासन/कार्मिक, सांख्यिकीय एवं प्रचार विभाग				
स्टाफ एवं कल्याण इंस्पेक्टर	पे बैंड-2	4600	50	65
	पे बैंड-2	4200	50	35
राजभाषा कर्मचारी (कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवादक)	पे बैंड-2	4600	25	40
	पे बैंड-2	4200	30	60
	पे बैंड-1	2800	45	
ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी के होस्टल प्रबंधन कर्मचारी	पे बैंड-2	4200	20	33
	पे बैंड-1	2800	40	40
	पे बैंड-1	2400	40	27
कैंटीन कर्मचारी (ग्रुप-II)	पे बैंड-2	4200	5	12
	पे बैंड-1	2400	30	40
	पे बैंड-1	2000	35	25
	पे बैंड-1	1900	7	8
	पे बैंड-1	1800	23	15
कैंटीन कर्मचारी (ग्रुप-III)	पे बैंड-2	4200	15	25
	पे बैंड-1	2400	25	25
	पे बैंड-1	2000	20	23
	पे बैंड-1	1900	40	27
सांख्यिकीय इंसपेक्टर	पे बैंड-2	4600	50	65
	पे बैंड-2	4200	50	35
प्रचार इंस्पेक्टर	पे बैंड-2	4600	50	60
	पे बैंड-2	4200	30	25
	पे बैंड-1	2800	20	15

अनुलग्नक - 'एच'

अअमासं के विशिष्ट कर्मचारी के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों
की पुनर्संरचना से संबंधित विवरण

बोर्ड के दिनांक 08-10-2013 का पत्र सं. पीसी-III/2013/सीआरसी/4 का अनुलग्नक.

कोटि	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संरचना		ग्रेड (ग्रेडों) के विलय के बाद मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
	पे बैंड	पे बैंड		
अअमासं के विशिष्ट कर्मचारी				
वैज्ञानिक सहायक/पर्यवेक्षक (मनोविज्ञान तकनीकी सेल)/ अअमासं	पे बैंड-2	4600	70	80
	पे बैंड-2	4200	30	20
वैज्ञानिक कर्मचारी (अनुसंधान)/ अअमासं	पे बैंड-2	4600	50	65
	पे बैंड-2	4200	50	35
वैज्ञानिक कर्मचारी (डिजाइन)/ अअमासं	पे बैंड-2	4600	50	65
	पे बैंड-2	4200	50	35
तकनीकी कर्मचारी (यांत्रिकी आदि)/ अअमासं	पे बैंड-2	4600	70	80
	पे बैंड-2	4200	30	20

[signature]